(22)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर कैम्प–रीवा (म0प्र0)

R-4010-III-14

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs 20/-

श्री विवेक शर्मा
आज दिनांक 17.11.14
प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

793
17.11.14

शिवकुमार नामदेव तनय मुन्नीलाल नामदेव उम्र 58 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम डगा तहसील देवसर जिला–सिगंरौली (म0प्र0)........................
....**आवेदक/निगरानीकर्ता**

बनाम

1. ऊषा देवी पति रामकुमार सुमन निवासी ग्राम गहबरा तहसील जिला–रीवा हाल पता निवासी ग्राम डगा तहसील देवसर जिला–सिंगरौली (म0प्र0),
2. म0प्र0 शासन...**अनावेदक/गैरनिगरानीकर्तागण**

क्रमांक 3769
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक__________ का प्राप्त
26-11-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल बरगवां तहसील देवसर जिला–सिंगरौली (म0प्र0) के राजस्व प्रकरण क्र. 39/अ–12/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 06.05. 2012 के विरूद्ध निगरानी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

आवेदक/निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 4010–तीन/14 जिला–सिंगरौली

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-06-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री विवके शर्मा उपस्थित होकर राजस्व निरीक्षक मण्डल बरगंवा तहसील देवसर जिला सिंगरौली के प्रकरण कमांक 39/अ–12/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 6.5.2012 के विरूद्व यह निगरानी म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी के साथ धारा 5 का आवेदन, शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी 2 वर्ष 6 माह विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब मांफ किया जा सकें समयाविधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधनकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह की जाती है। सदस्य	